सरकार के सचिव तथा एक अन्य

बनाम

के. मुनिअप्पन

21 मार्च, 1997

[के. रामास्वामी तथा के.टी. थॉमस, न्यायमूर्तिगण]

सेवा विधि :

तमिलनाडु सिविल सेवा (सी.सी.ए.) नियम :

नियम 17(ई)(1)—निलंबन—सेवानिवृत्ति के कगार पर स्थित पदाधिकारी—उसके विरुद्ध गंभीर आपराधिक अपराधों की जाँच किए जाने का विचाराधीन होने के कारण उसे निलंबन आदेश तामील किया गया—अभिनिर्धारित किया गया, कि नियमों के दृष्टिगत किसी पदाधिकारी को निलंबन के अधीन रखा जा सकता है, जहाँ उसके विरुद्ध गंभीर आरोप की जाँच "विचाराधीन" हो अथवा "लंबित" हो, अथवा उसके विरुद्ध किसी आपराधिक अपराध की शिकायत अन्वेषण अथवा विचारण के अधीन हो और यदि ऐसा निलंबन लोकहित में आवश्यक हो—जाँच का वास्तविक रूप से लंबित होना किसी पदाधिकारी को निलंबित किए जाने के लिए पूर्व-शर्त नहीं है—अपराधों के संबंध में अन्वेषण का लंबित होना आधारों में से एक आधार है।

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार : 1997 की दीवानी अपील सं. 2503।

1995 की ओ.ए. सं. 6457 में तमिलनाडु प्रशासनिक अधिकरण, मद्रास के दिनांक 25.6.96 के निर्णय तथा आदेश से।

वी. कृष्णमूर्ति, अपीलकर्ताओं की ओर से।

श्रीमती चंदन राममूर्ति, उत्तरदाता की ओर से।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश प्रदत्त किया गया :

विलंब क्षमा किया गया।

अनुमति प्रदान की गई। हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है।

विशेष अनुमति द्वारा यह अपील, तमिलनाडु प्रशासनिक अधिकरण द्वारा 25 जून, 1996 को 1995 की ओ.ए. सं. 6457 में पारित आदेश से उत्पन्न हुई है।

उत्तरदाता को, अधिवर्षिता प्राप्त करने से पूर्व, एक निलंबन आदेश तामील किया गया, जो निम्नवत् है :—

> "जबकि तिरु के. मुनिअप्पन, प्रभागीय अभियंता (राष्ट्रीय राजमार्ग), सलेम, वर्तमान में परमाकुडी राजमार्ग एवं ग्रामीण निर्माण प्रभाग में पदस्थापित, के विरुद्ध गंभीर आपराधिक अपराध की जाँच विचाराधीन है।"

उत्तरदाता ने उक्त आदेश को अधिकरण में चुनौती दी। अधिकरण ने आक्षेपित आदेश में कहा है कि तमिलनाडु सिविल सेवा (सी.सी.ए.) नियमों का नियम 17, ऐसी जाँच लंबित रहने के दौरान उत्तरदाता को निलंबित करने के लिए अपीलकर्ता को सशक्त नहीं करता है और इसलिए की गई कार्रवाई अवैध थी। प्रश्न यह है : क्या अधिकरण द्वारा ग्रहण किया गया दृष्टिकोण विधि में सही है? नियम 17(ई)(1) निम्नवत् है :—

> "(ई)(1) किसी सेवा के सदस्य को सेवा से निलंबन के अधीन रखा जा सकता है, जहाँ—
>
> (i) उसके विरुद्ध गंभीर आरोप की जाँच विचाराधीन हो अथवा लंबित हो; अथवा
>
> (ii) उसके विरुद्ध किसी आपराधिक अपराध की शिकायत अन्वेषण अथवा विचारण के अधीन हो और यदि ऐसा निलंबन लोकहित में आवश्यक हो।"

नियम के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से इंगित होता है कि किसी सेवा के सदस्य को सेवा से निलंबन के अधीन रखा जा सकता है, जब उसके विरुद्ध गंभीर आरोप की जाँच "विचाराधीन" हो अथवा "लंबित" हो; अथवा उसके विरुद्ध किसी आपराधिक अपराध की शिकायत अन्वेषण अथवा विचारण के अधीन हो और यदि ऐसा निलंबन लोकहित में

आवश्यक हो। यह अभिकथित किया गया था कि कर्मचारियों की संगठित तथा मिलीभगतपूर्ण कार्रवाई के परिणामस्वरूप सरकार की निधियों का 7.82 करोड़ रुपए की राशि तक गबन हुआ था। उत्तरदाता, संबंधित समय पर प्रभागीय अभियंता के कार्यालय में प्रभागीय लेखाकार के रूप में कार्यरत पदाधिकारियों में से एक था। इसलिए, प्राधिकारियों ने अपराधों के संबंध में अन्वेषण का विचार किया। तदनुसार, गंभीर आरोपों के संबंध में अन्वेषण लंबित रहने के दौरान उसे निलंबित किया गया।

उत्तरदाता की विद्वान अधिवक्ता श्रीमती चंदन राममूर्ति ने तर्क किया है कि यह तथ्य कि उत्तरदाता अभी भी निलंबन के अधीन है और अन्वेषण पूर्ण नहीं किया गया है, यह प्रदर्शित करता है कि उसके विरुद्ध कोई गंभीर आरोप नहीं हैं और इसलिए अधिवर्षिता प्राप्त करने पर उसे सेवानिवृत्त होने से वंचित नहीं किया जा सकता। उन्होंने हमारा ध्यान इस तथ्य की ओर भी आकृष्ट करने का प्रयास किया कि उन व्यक्तियों में से एक, जो निलंबन के अधीन भी था, के विरुद्ध अधिकरण ने आवेदन अनुज्ञात कर दिया था तथा निलंबन आदेश को अपास्त कर दिया था, जिसकी इस न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई थी। इन परिस्थितियों में, उनका तर्क है कि यह हस्तक्षेप अपेक्षित करने वाला वाद नहीं है। हम विद्वान अधिवक्ता से सहमत होने में असमर्थ हैं। यह देखा जाता है कि अधिकरण इस आधार पर त्रुटिपूर्वक अग्रसर हुआ है कि सरकार के पास किसी कर्मचारी को जाँच अथवा अन्वेषण लंबित रहने के दौरान निलंबन के अधीन रखने की शक्ति नहीं है। नियम 17(ई)(1) स्वयं यह परिकल्पना करता है कि किसी पदाधिकारी को निलंबन के अधीन रखा जाएगा, जहाँ "गंभीर आरोपों की जाँच विचाराधीन है"। इन परिस्थितियों में, वास्तविक लंबितता किसी पदाधिकारी को निलंबित करने के लिए पूर्व-शर्त नहीं है। अपराधों के संबंध में अग्रेतर अन्वेषण का लंबित होना आधारों में से एक आधार है। जब तक गहन अन्वेषण नहीं किया जाता, तब तक अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों की पहचान करने तथा विधि के अनुसार अनुवर्ती कार्रवाई करने की बहुत कम संभावना होगी। यदि पदाधिकारी को सेवानिवृत्त होने की अनुमति दे दी जाती है, तो

अपराध की व्यापकता से संतोषजनक रूप से निपटने हेतु प्रभावी कदम उठाने का कोई अवसर नहीं होगा। यह सत्य है कि समयांतराल है, किन्तु अनेक व्यक्तियों द्वारा संगठित रूप से लोक निधियों के गबन से संबंधित वाद में, अन्वेषण पदाधिकारी द्वारा विस्तृत अन्वेषण किया जाना अपेक्षित है और इसलिए स्थिति की प्रकृति को देखते हुए अन्वेषण को शीघ्रतापूर्वक पूर्ण न करने के लिए प्राधिकारियों को दोषी ठहराना कठिन होगा। तथापि, अपीलकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह अन्वेषण को यथाशीघ्र पूर्ण कराए तथा अत्यावश्यक आधार पर समुचित कार्रवाई करे।

तदनुसार, अपील अनुज्ञात की जाती है। ओ.ए. निरस्त की जाती है। कोई व्यय नहीं।

आर.पी. अपील अनुज्ञात की गई।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यावहारिक, कार्यालयीय, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।